न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:—आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—155 / 2021 प्रार्थना पत्र

1—श्री गोरीलाल आत्मज किशनलाल विश्नोई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

-- प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

2—परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एन.एच. संख्या 758) परियोजना कार्यान्वयन ईकाई चितौडगढ साईट ऑफिस ए—8 यू.आई.टी. के पीछे सुभाषनगर भीलवाडा।

-- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थी श्री राकेश जैन

2—अधिवक्ता विपक्षी सं0 02 श्री दिनेश बापना

3— विपक्षी संख्या 01 पैरोकार सरकार

:: निर्णय ::

दिनांक:—08.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनिमय का विरूद्व विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम पुर प0ह0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में खातेदारी आधिपत्य की आराजी नम्बर 8329 रकबा 0.1372 है0 एवं आराजी नम्बर 8340 / 2 रकबा 0.3288 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 बाबत मार्गाधिकार के चोडाकरण हेतु 3ए एवं 3डी की अधिसुचना जारी कर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई इसी अनुक्रम में प्रार्थी की भूमि मे से भी अवाप्ति की कार्यवाही की गई जिस कम में अवाप्त सुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त हो गया। भूमि अवाप्ति के पश्चात् राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने भूल व गलती से उक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 की राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय अवाप्त सुदा भूमि अनुसार फिट न कर नक्शे की आकृति दक्षिण दिशा की तरफ बढा दी जबकि मौके पर उक्त एन.एच. 758 प्रार्थी की आराजी में वर्तमान राजस्व नक्शे में अंकितानुसार न हो इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत साईट प्लान नक्शा इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है उक्त गलत तरमीम से प्रार्थी के हकों पर प्रतिकुल असर पड रहा है, जिससे आराजी संख्या 8329 रकबा 0.1372 हैक्टेयर, आराजी संख्या 8340 / 2 रकबा 0.3288 हैक्टेयर भूमि के राजस्व नक्शें में तरमीम कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न साईट प्लान नक्शा अनुसार एन.एच. 758 की आकृति दक्षिण दिशा मे से कम की जाकर उत्तर की तरफ बढाई जाना आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पुर प0ह0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 8329 रकबा 0.1372 है0 एवं आराजी संख्या 8340 / 2 रकबा 0.3288 है0 भूमि के राजस्व नक्शें में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न साईट प्लान नक्शा अनुसार तरमीम कर एन.एच.758 की दक्षिण दिशा में से कम की जाकर उत्तर की तरफ बढाई जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार आकृति फिट की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण के सम्मन जारी किये गये। विपक्षी संख्या 02 का जवाब पेश नही करने से जवाब

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

बन्द किया गया प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 पेरोकार सरकार की और से उनके पत्र कमांक/भू.अ.नि./2024/786 दिनांक 02.04.2024 मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है।

1. रिपोर्ट भू0अ0नि0 एवं पटवारी अनुसार ग्राम पुर के आ0नं0 8340/2 रकबा 0.3288 है0 के बजाय राजस्व नक्शे में 0.2656 हैक्टेयर भूमि ही आ रही है तथा आ0नं0 8340/3 का रकबा 0.0506 है0 के बजाय 0.0885 है0 तथा आ0नं0 8340/4 का रकबा 0.0253 है0 के बजाय 0.0506 है0 भूमि राजस्व नक्शे में आ रही है अर्थात आ0नं0 8340/2 में कुल 0.0632 है0 राजस्व नक्शे में कम दर्ज है तथा इसी प्रकार आ0नं0 8340/3 का रकबा 0.0379 है0 ज्यादा दर्ज है तथा आ0नं0 8340/4 का रकबा 0.0253 है0 ज्यादा दर्ज है। जो कि आ0नं0 8340/2 में जाना चाहिए।
2. यह है कि पूर्व में आराजी नं0 8340 रकबा 1.12 होकर शामलाती प्यारचन्द, गोरीलाल, उगम चन्द पिता किशनलाल विश्नोई नि0 पुर के नाम दर्ज था। जो सहमति विभाजन से कमशः 8340/4 प्यारचन्द के रकबा 0.02 व 8340/3 रकबा 0.04 उगमचन्द पिता किशनलाल के तथा आ0नं0 8340/2 रकबा 1.06 बीघा गोरीलाल पिता किशनलाल के नाम नामान्तकरण संख्या 4180 दिनांक 28.05.2005 से दर्ज हुआ।
3. यह है कि विभाजन से पूर्व ही आ0नं0 8340/1 गे.मु. सडक में दर्ज था अर्थात 8340 सडक के दोनो और था, परन्तु एक ही नम्बर 8340दर्ज थे, परन्तु वक्त विभाजन सहवन से रकबा बरारी सही होने से आ0नं0 8340/3 व 8340/4 का रकबा ट्रेस के मुकाबले जमाबन्दी में नही किये जाने से तरमीम दुरूस्ती हेतु वाद दायर किया है।
4. यह है कि प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती का नक्शा बनाया गया है जिसमें आ0नं0 8340/3 के पूर्व दिशा में 0.03 बिस्वा तथा इसी से लगता हुआ आ0नं0 8340/4 में से 0.02 बिस्वा का नक्शा प्रस्तावित किये जाने में वादी ने सहमति जताई ताकि इनको भी एक साथ कम रकबा मिल जावे तथा आ0नं0 8327/2 के खातेदार भी रोड 79 सडक से लगते हुए रह जावे व आ0नं0 8327/1 के खातेदार भी रोड 79 सडक से लगते हुये रह जावे ताकि रास्ते की समस्या नही रहे । जांच रिपोर्ट मय भू0अ0नि0 के मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस संलग्न है।

प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पुर प0ह0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में खातेदारी आधिपत्य की आराजी नम्बर 8329 रकबा 0.1372 है0 एवं आराजी नम्बर 8340/2 रकबा 0.3288 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 बाबत मार्गाधिकार के चोडाकरण हेतु 3ए एवं 3डी की अधिसुचना जारी कर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई इसी अनुकम में प्रार्थी की भूमि मे से भी अवाप्ति की कार्यवाही की गई जिस कम में अवाप्त सुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त हो गया। भूमि अवाप्ति के पश्चात् राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने भूल व गलती से उक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 की राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय अवाप्त सुदा भूमि अनुसार फिट न कर नक्शे की आकृति दक्षिण दिशा की तरफ बढा दी जबकि मौके पर उक्त एन.एच. 758 प्रार्थी की आराजी में वर्तमान राजस्व नक्शे में अंकितानुसार न हो इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत साईट प्लान नक्शा इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है उक्त गलत तरमीम से प्रार्थी के हकों पर प्रतिकुल असर पड रहा है, जिससे आराजी संख्या 8329 रकबा 0.1372 हैक्टेयर, आराजी संख्या 8340/2 रकबा 0.3288 हैक्टेयर भूमि के राजस्व नक्शों में तरमीम कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न साईट प्लान नक्शा अनुसार एन.एच. 758 की आकृति दक्षिण दिशा मे

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

से कम की जाकर उत्तर की तरफ बढाई जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम दुरुस्ती करायी जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट का अध्ययन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम पुर प0ह0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 8340/2 रकबा 0.3288 है0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है राजस्व नक्शे में 0.2656 हैक्टेयर ही आ रही है तथा आ0नं0 8340/3 का रकबा 0.0506 है0 के बजाय 0.0885 है0 तथा आ0नं0 8340/4 का रकबा 0.0253 है0 के बजाय 0.0506 है0 राजस्व नक्शे में आ रही है अर्थात आ0नं0 8340/2 में कुल 0.0632 है0 राजस्व नक्शे में कम दर्ज है तथा इसी प्रकार आ0नं0 8340/3 का रकबा 0.0379 है0 ज्यादा दर्ज है तथा आ0नं0 8340/4 का रकबा 0.0253 है0 ज्यादा दर्ज है। प्रार्थी की आराजी संख्या 8340/2 रकबा 0.3288 है0 के बजाय राजस्व नक्शे में 0.2656 है0 की तरमीम की गई जो त्रुटिपूर्ण हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है अतः

एवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर प0ह0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 8340/2 राजस्व रेकार्ड में 0.3288 हैक्टेयर भूमि दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शे में 0.2656 हैक्टेयर भूमि की ही तरमीम है, इसी प्रकार आराजी नम्बर 8340/3 राजस्व रेकार्ड में 0.0506 हैक्टेयर भूमि दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शे में 0.0885 हैक्टेयर भूमि की तरमीम की हुई है, एवं आराजी नम्बर 8340/4 राजस्व रेकार्ड में 0.0253 हैक्टेयर भूमि दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शे में 0.0506 हैक्टेयर भूमि की तरमीम की हुई है।

ग्राम पुर के आराजी नम्बर 8340/2 के राजस्व नक्शे में 0.2656 हैक्टेयर के बजाय 0.3288 हैक्टेयर की तरमीम की जावे, आराजी नम्बर 8340/3 के राजस्व नक्शे में 0.0885 हैक्टेयर के बजाय 0.0506 हैक्टेयर की तरमीम की जावे, आराजी नम्बर 8340/4 के राजस्व नक्शे में 0.0506 हैक्टेयर के बजाय 0.0253 हैक्टयार की तरमीम की जावे।

ग्राम पुर के आराजी नम्बर 8340/2, 8340/3, 8340/4 के राजस्व रेकार्ड में अंकित क्षैत्रफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा एवं राजस्व नक्शे में उपरोक्तानुसार तरमीम दुरुस्ती की जावे। तरमीम दुरुस्ती से उपरोक्त आराजियात में प्रार्थी व अन्य खातेदार के कब्जे पर किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरुस्ती की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 08 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा